शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए पंजीकरण दिशा-निर्देश

1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र को भरने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in पर Admission 2024-25 के लिंक पर क्लिक करें। सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के "Admission Monitoring System" के माध्यम से ही होगें।
2. प्रवेश प्रक्रिया के तीन चरण हैः-

   2.1 पंजीकरण "(WRN-Web Registration Number) और भुगतान।

   2.1 विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम व सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का चयन।

   2.3 महाविद्यालय को रिपोर्ट करना।
3. अभ्यर्थी के पास एक मोबाइल नम्बर और एक ई0मेल0 आई0डी0 होनी चाहिए।
4. प्रति WRN की फीस स्नातक के लिए 300/- व परास्नातक के लिए 400/- है।
5. WRN और प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निम्नवत् रहेगीः-

   5.1 विश्वविद्यालय की वेबसाइट "www.dbrau.ac.in'' पर जाये।

   5.2 Admission-2024 पर क्लिक करें।

   5.3 प्रवेश के लिंक पर क्लिक करें।

   5.4 अपनी सभी जानकारी (नाम, पिता का नाम इत्यादि) भरें और

   5.5 सभी सूचनाओं को पुनः चेक करें। भुगतान करने से पहले अगर उपरोक्त सूचनायें सही हैं तभी 'Submit' बटन पर क्लिक करें अन्यथा 'Edit' पर क्लिक करें। भुगतान होने के पश्चात् सूचनायें ठीक नहीं कर सकते हैं और उस भुगतान की वापसी नही होगी।

   5.6 'Submit' का बटन दबाने के बाद, आपके मोबाइल नम्बर पर एक OTP आयेगा, OTP को भरें और भुगतान करें।

   5.7 भुगतान होने के बाद, वेबसाइट पर स्वतः एक PDF बनेगी जिसका प्रिन्ट लेकर अपने पास रख लें। यदि भुगतान की समस्या के चलते, PDF नहीं आ पा रही है तब कुछ समय के इंतजार के बाद पुनः वेबसाइट पर जा कर चेक करें और 'Forget WRN' पर क्लिक कर चेक करें और अपने Registration का प्रिन्ट निकाल लें।

   5.8 अब कोर्स का चयन करने के लिए 'Selection of Course' पर क्लिक करें, अपना Registration no और OTP से प्राप्त पासवर्ड भरें उसके पश्चात् अपने पाठ्यक्रम का चयन करें और जिस पर प्रवेश चहाते है। संतुष्ट होने पर 'Submit' बटन पर क्लिक करें एवं अपना

WRN प्राप्त करें और आपने Application Form प्रवेश फार्म की जो PDF बन कर आयी है उसका प्रिन्ट लें।

5.9 अब अपने सभी दस्तावेजों की छायाप्रति (Photocopy) लेकर उस Application Form के साथ सम्बन्धित महाविद्यालयों की रिपोर्ट करें।

5.10 महाविद्यालयों की विवरण पुस्तिका का मूल्य रू0 350/- और पंजीकरण का शुल्क रू0 10/- सत्र 2024-25 से किया गया है।

6. प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन का अभिप्राय आवेदित कॉलेज/पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश का आश्वासन नही हैं। आपको आवासीय संस्थान/महाविद्यालय में प्रवेश, उनके द्वारा बनायी गयी मेरिट/वरीयता क्रम में विषयों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिया जायेगा। अन्य किसी भी तरह के भारांक (वैटेज) का लाभ लेने के लिए सम्बंधित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आपको उस लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र को स्वंय भरें अथवाा साइबर कैफे से भरवाने की स्थिति में स्वंय वहां उपस्थित रहें। आवेदन पत्र में किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।

7. आवेदन पत्र के विशिष्ट पहचान सेक्शन में अभ्यर्थी अपने दसवीं एवं बारहवी कक्षा के अंक, अपना अनुक्रमांक, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं आाधर कार्ड का नंबर ध्यान पूर्वक भरें। इनका उपयोग योग्यता की वरीयता सूची में होता है, गलत सूचना आपकी वरीयता सूची को प्रभावित कर सकती है। यदि अभ्यर्थी समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र भरने का इच्छूक है तो उसे आधार के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, अगर अभी आधार संख्या नही प्राप्त हुई हो तो आधार नामांकन संख्या प्राप्त करने का प्रयास करें।

8. अभ्यर्थी को वेब रजिस्ट्रेशन नंबर (WRN) मिल जायेगा और प्रवेश फॉर्म का प्रिंट लेकर उस कॉलेज में रिपोर्ट करेगा जहॉ उसको प्रवेश लेना है। अभ्यर्थी एक बार में एक से ज्यादा महाविद्यालय में रिपोर्ट के लिए अपने फार्म को जमा कर सकता है।

9. अभ्यर्थी जब महाविद्यालय में रिपोर्ट करेगा तब महाविद्यालय की तरफ से अभ्यर्थी के पास एक सूचना मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भेजी जायेगा कि आपका प्रवेश फॉर्म महाविद्यालय में जमा हो गया है और उसे एक निश्चित दिनांक को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए संपर्क करना है ये सूचना प्रवेश को सुनिश्चित नहीं करेगी।

10. अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहता हैं तब उसको उक्त प्रक्रिया को पुनः कर, नया भुगतान करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के लिए पृथक रूप से एक नया WRN दिया जाएगा।

11. महाविद्यालयों में रिपोर्ट करने के बाद, यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह लगातार महाविद्यालयों के सम्पर्क में बना रहे और प्रवेश के लिए महाविद्यालय द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता रहें।

12. विषयों का आवंटन, महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी की प्राथमिकता और उसकी मेरिट के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी विषयों के आवंटन से संतुष्ट नहीं है तब या तो वह महाविद्यालय से विषय परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है अथवा किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश के लिय जा सकता है जहॉ उसने रिपोर्ट की है।

13. उक्त प्रक्रिया में WRN और Application Form में दी गयी सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरादायी रहेगा। भविष्य में यदि कोई भी सूचना असत्य पायी जाती है जब उसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही रहेगा, और इस दशा में उसका प्रार्थना पत्र/प्रवेश निरस्त करने का अधिकार, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का रहेगा।

14. यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 01 माह के अन्दर सम्पन करनी होगी।